एकीकृत बाल विकास परियोजना रौन,जिला भिण्ड (म.प्र.)
न्यायालय कलेक्टर भिण्ड द्वारा आपत्तियों का निराकरण, भिण्ड दिनांक 22.04.2010

क्र.	शिकायतकर्ता का नाम	आं.बा. / मिनी आ.बा. केन्द्र का नाम	पदनाम जिसके लिये शिकायत है।	शिकायत का विवरण	जिला स्तरीय आपत्ति निराकरण समिति द्वारा शिकायत का निराकरण
1	2	3	4	5	6
1	द्वारा : डी.पी.ओ. मनोज तिवारी	मिहोना वार्ड नं.14	कार्यकर्ता	उक्त पद हेतु मैनें तथा मीना पत्नी श्री पंकज ग्राम सिंगरौली द्वारा अपने मिहोना वार्ड 14 का मूल निवासी बताते हुए आवेदन किया था, परियोजना अधिकारी द्वारा बिना जांच किये पात्र घोषित किया है जो गलत है।	शिकायतकर्ता द्वारा चयनित के मूल निवासी एवं शैक्षणिक दस्तावेजों की वैद्यता को चुनौती दी गई है जिसमें चयनित सही न होने के प्रमाण आवेदिका द्वारा दिये गये है इन प्रमाणों का सत्यापन कराया जाना उचित होगा।
2	द्वारा : डी.पी.ओ. श्रीमती सीता कुशवाह	मिहोना वार्ड नं. 14	कार्यकर्ता	मेरे 65 प्रतिशत अंक होने के उपरांत मेरी नियुक्ति नहीं की है जबकि अवैधानिक तरीके से अयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति की गई हैं।	शिकायतकर्ता के लेख के आधार पर चयनित के आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया। अवलोकन में चयनित की बी.ए.की अंकसूची संदग्धि प्रतीत होती है। सत्यापन कराया जायें, सत्यापन में गलत पाये जाने पर मैरिट अनुसार कायंवाही की जायें।
3	श्रीमती मायादेवी	मिहोना वार्ड नं.7	सहायिका	मेरे द्वारा मिहोना वार्ड नं.7 अनंतिम सूची में प्रथम स्थान पर प्रभादेवी पत्नी श्री रामप्रकाश गुप्ता के विरूद्व आापके कार्यालय में दिनांक 23.10.09 बी.पी.एल.निरस्त किये जाकर अंक कम कर मुझे नियुक्ति दिये जाने बावत्।	शिकायतकर्ता द्वारा चयनित प्रभादेवी के बीपीएल कार्ड के निरस्त किये जाने पर पत्र प्रस्तुत किया है,जिसमें सीएमओ मिहोना का प्रतिवेदन शामिल है जबकि सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार के आदेश की प्रति संलग्न नहीं है। शिकायतकर्ता को कहा गया है कि तहसीलदार का आदेश प्रस्तुत करें।
4	श्रीमती बालश्री	बगियापुरा	कार्यकर्ता	मेरा नाम विभाग द्वारा जारी अनंतिम सूची तथा अंतिम सूची प्रथम वरीयता स्थान पर है। प्रेमादेवी पत्नी श्री सुनील द्वारा अवैध तरीके से ;आचार संहिता की अवधि में 20.08.08द्ध बी.पी.एल.कार्ड बनवाया है। जो गलत है।	शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि चयनित उम्मीदवार प्रेमादेवी पत्नी सुनील का बीपीएल में नाम संदिग्ध प्रतीत होता है क्योंकि ;1द्ध उनका

				यह गरीबी रेखा में नहीं क्योंकि इनके पास 10 बीघा जीमन, मोटर साइकिल, कूलर, पंखा इत्यादि	बीपीएल में नाम आचार संहिता की अवधि में जोडा गया ;2द्ध अंतिम सूची में प्रेमादेवी के नाम के सामने यह लिखा गया कि बीपीएल कार्ड की जांच कराई जायें, यदि जांच लंबित तो चयन क्यों किया गया।
5	द्वारा : कलेक्टर भिण्ड श्रीमती कमलेशी	मोरखी बडी	उप कार्यकर्ता	मेनिकासिंह पत्नी श्री इन्द्रपालसिंह द्वारा कार्यालय में जमा किया गया है जिसमें बीपीएल राशन कार्ड ;फोटोकांपीद्ध संलग्न वह फर्जी है। जो कि उसमें इंद्रपाल पुत्र श्री धनीराम बीपीएल राशनकार्ड में नाम दर्ज नहीं है। इनका नाम केशरी पुत्र श्री बैजनाथ के राशन कार्ड में इंद्रपाल द्वारा स्वयं के हाथों से जोडा गया है।	श्रीमती कमलेशी पत्नी विन्द्रावन के आवेदन के आधार पर चयनित मोनिका इंद्रपाल के आवेदन का अवलोकन किया गया, अवलोकन में पाया गया कि शिकायत प्रथम दृष्ट्या सही प्रतीत होती है चयनित के राशनकाद्ध में कुल सदस्य संख्या 3 बताई गई है जिसे बढाकर 8 किया गया है तथा चयनित को बीपीएल के 10 अंक मिल जाने से चयन संभव हो पाया है। सदस्यों की संख्या में काटपीट की गई जो स्पष्ट प्रतीत होती है।
6	श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री विनोदकुमार	कछपुरा ;रौनद्ध	उप कार्यकर्ता		आपत्तिकर्ता की शिकायत के आधार पर चयनित शकुंतला / रसाल के आवेदन पत्र का अवलोकन किया जिसमं शकुंतला / रसाल के कक्षा 5 के 59 अंक है एवं शिकायत कर्ता के 59 है 1 प्रतिशत अधिक होने से उम्र का आधार नहीं माना जा सकता है।
7	श्रीमती नर्मदा पत्नी श्री अरविंदसिंह	बुद्वपुरा ;मानगढद्ध	उप कार्यकर्ता	आपत्किर्ता द्वारा श्रीमती प्रीती देवी स्थानीय निवासी नहीं है जबकि मैं स्थानीय निवासी हूॅ।	चूंकि मजरा टोला की इकाई न मानकर राजस्व ग्राम की इकाई माना गया । अतः शिकायतकर्ता चयनित उम्मीदवार एक ही ग्राम के निवासी है। अतः शिकायत उचित प्रतीत नहीं होती है।
8	श्रीमती रानी ओझा पत्नी श्री पवन ओझा	अचलपुरा	कार्यकर्ता	शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया है कि चयनित उम्मीदवार स्थानीय निवासी नहीं है क्योंकि उसका वहां	चयनित अनीतादेवी द्वारा आवेदन के साथ ग्राम पंचायत का राशनकार्ड एवं

				मतदाता सूची में नाम नहीं है।	मूल निवासी प्रमाण पत्र जो तहसीलदार द्वारा जारी किया गया है संलग्न किया है। अतः उसे ग्राम का निवासी माना गया है। अतः शिकायत उचित प्रतीत नहीं होती है।
9	श्रीमती केशकली पत्नी श्री भदू	मछण्ड	सहायिका	शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया है कि उसे परियोजना हेतु निर्धारित अंक नहीं मिले है	आवेदन के अवलोकन पर पाया कि महिला द्वारा अपने आवेदन में परित्यक्ता होने का उल्लेख किया है, परन्तु अभिलेख प्रस्तुतीकरण के समय परित्यक्ता का न्यायालय का आदेश संलग्न नहीं किया गया था, अतः आवेदिका को परित्यक्ता के 10 अंक प्रदान नहीं किये गयगे थे। उसका सहायिका पद पर चयन नहीं हुआ था आज दिनांक 22.04.2010 को जब आवेदिका द्वारा अपने आवेदन के साथ कोर्ट का आदेश प्रस्तुत किया तो आदेश को पढने से यह ज्ञात हुआ कि आवेदिका का कोर्ट ने डायवोर्स स्वीकार नहीं किया है और प्रकरण निरस्त कर दिया है अतः पूर्व में किया गया चयन वैद्य है।
10	श्रीमती रजनी चौहान	मेहराखुर्द	कार्यकर्ता	आवेदिका द्वारा बताया गया है कि चयनित श्रीमती दीपिका शैलेन्द्रसिंह ग्राम की निवासी है। अतः इनकी नियुक्ति निरस्त की जायें।	चयनित आवेदक आवेदन पत्र का अवलोकन किया। चयनित के पति का नाम मतदाता सूची में एवं राशनकार्ड में अंकित पाया गया, साथ ही विवाह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अवलोकन में नियुक्ति सही पाई गई, यदि आपत्तिकर्ता चाहे तो अपील कर सकते है।
11	श्रीमती विनीता पत्नी श्री देवीसिंह	जैतपुरामढी	सहायिका	आवेदिका द्वारा बताया गया है कि अनंतिम सूची में उषादेवी उर्फ गुड्डीदेवी पत्नी रामअवतारसिंह को 40 अंक दिये गये थे, जिला स्तरीय समिति द्वारा अंक	प्रकरण का परीक्षण किया गया, चयनित उम्मीदवार की वैद्यता में आपत्तिकर्ता की आपत्ति से कोई प्रभाव नहीं पढता है।

				बढाकर 60 कर दिये गये,आवेदिका का वरीयता सूची में प्रतीक्षा में प्रथम स्थान है। चयनित की नियुक्ति निरस्त कर मेरी नियुक्ति की जायें।	अतः आपत्ति निरस्त योग्य एवं चयन वेद्य है।
12	श्रीमती उर्मिलादेवी पत्नी श्री उदयप्रकाश	रौन	सहायिका	आवेदिका द्वारा बताया गया कि उसके कुल अंक 66.5 होते है जबकि उसे 60 अंक दिये गये है।	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत अभिलेखों में कक्षा 5वीं की अंकसूची प्रस्तुत नहीं की गई थी अतः उसे न्यूनतम 30 अंक दिये गये है, साथ ही विधवा के 10 अंक बीपीएल के 10 अंक मिडिल पास के 10 अंक इस प्रकार कुजल 60 अंक दिये गये है जो सही है आवेदन निस्त योग्य है।